[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना** सं.52/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जब उनका भारत में आयात किया जाए, तो,-

(क) उतने सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से जितना अधिक है, छूट प्रदान करती है; और

(ख) इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी के अधीन रहते हुए, जिस शर्त संख्या को उक्त सारणी के स्तंभ (6) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित किया गया है, उतने अतिरिक्त शुल्क से, जो उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क की दर से जितना अधिक है, छूट प्रदान करती है:

सारणी

| क्रम सं. | अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद | माल का वर्णन | मानक दर | अतिरिक्त शुल्क की दर | शर्त सं. |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | 2709 00 00 | सभी माल | कुछ नहीं | - | - |
| 2. | 2710 | मोटर स्प्रिट, जो सामान्यतः पेट्रोल के नाम से ज्ञात है | 2.5% | - | - |
| 3. | 2710 | उच्च गति डीजल (एचएसडी) | 2.5% | - | - |
| 4. | 2710 19 20 | सभी माल | कुछ नहीं | - | - |
| 5. | 2711 11 00 | द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) | 2.5% | - | - |
| 6. | 2711 11 00, 2711 21 00 | द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), दाहेज विशेष आर्थिक जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईजेड यूनिट कहा गया है) में अवस्थित मैसर्स तेल और प्रकृतिक गैस निगम लि. के सी2-सी3 संयंत्र में उपभोग के लिए, एसईजेड यूनिट में प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनों के लिए | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | आयातित | | | |
| 7. | 2711 11 00, 2711 21 00 | दाहेज विशेष आर्थिक जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईजेड यूनिट कहा गया है) में अवस्थित मैसर्स तेल और प्रकृतिक गैस निगम लि. के सी2-सी3 संयंत्र में किए जाने वाले प्राधिकृत प्रचालनों के पूरा हो जाने के पश्चात् घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में निकासी की गई अवशेष द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या प्राकृतिक गैस (एनजी) :<br>परंतु ऐसी छूट उस समय उपलब्ध नहीं होगी यदि एलएनजी/एनजी की उस मात्रा पर छूट का दावा किया गया है, जो उस मात्रा से भिन्न है, जिसका उपभोग एसईजेड यूनिट में प्राधिकृत प्रचालनों के लिए किया गया है । | कुछ नहीं | कुछ नहीं | - |
| 8. | 2711 11 00, 2711 21 00 | द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 2 |
| 9. | 2711 11 00, 2711 21 00 | द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या प्राकृतिक गैस (एनजी), जब उसका आयात किसी आयातकर्ता द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (28) में यथा परिभाषित जनित्र कंपनी को इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की पूर्ति हेतु या इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की पूर्ति के कारबार में लगने हेतु इलैक्ट्रिकल ऊर्जा के जनन के लिए किया जाए :<br>परंतु ऐसी छूट उस समय उपलब्ध नहीं होगी यदि ऐसी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या प्राकृतिक गैस (एनजी) का उपयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (8) में यथा परिभाषित किसी आबद्ध जनित्र संयंत्र द्वारा इलैक्ट्रिकल ऊर्जा के जनन हेतु किया गया है । | कुछ नहीं | - | - |
| 10. | 2711 11 00, 2711 21 00 | द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या प्राकृतिक गैस (एनजी), जब उसका आयात किसी आयातकर्ता द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (28) में यथा परिभाषित किसी जनित्र कंपनी को, इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की पूर्ति हेतु या इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की पूर्ति के कारबार में लगने हेतु इलैक्ट्रिकल ऊर्जा के जनन के लिए किया जाए :<br>परंतु ऐसी छूट उस समय उपलब्ध नहीं होगी यदि ऐसी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या प्राकृतिक गैस (एनजी) का उपयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (8) में यथा परिभाषित किसी आबद्ध जनित्र संयंत्र द्वारा इलैक्ट्रिकल ऊर्जा के | कुछ नहीं | - | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जनन हेतु किया गया है । | | | |
| 11. | 2711 21 00 | सभी माल | 5% | - | - |

**स्पष्टीकरण**.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(i) उक्त सारणी के स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट दर, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाएगा, मूल्यानुसार दर है ।

(ii) स्तंभ (4) में आने वाले "-" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना के, जो तत्समय प्रवृत्त है, साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अनुसार माल पर उद्ग्रहणीय आधारिक सीमाशुल्क अभिप्रेत है ।

(iii) स्तंभ (5) में आने वाले "-" से उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना, जो तत्समय प्रवृत्त है, के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अनुसार माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क अभिप्रेत है ।

**उपाबंध**

| शर्त सं. | शर्त |
|---|---|
| 1. | यदि एलएनजी के संबंध में, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है,- (क) आयातकर्ता प्रवेश बिल में एलएनजी की उस मात्रा को उपदर्शित करता है, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है; और (ख) आयातकर्ता अधिकारिता रखने वाले एसईजेड यूनिट के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, यह प्रमाणित करते हुए कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि एलएनजी की उस मात्रा, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, का पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनों हेतु एसईजेड यूनिट द्वारा समतुल्य मात्रा के निबंधनानुसार वास्तव में उपभोग किया गया है । |
| 2. | यदि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के संबंध में, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है,- (क) आयातकर्ता प्रवेश बिल में एलएनजी की उस मात्रा को उपदर्शित करता है, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है; और (ख) आयातकर्ता निर्यात के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा, यह प्रमाणित करते हुए कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि एलएनजी की उस मात्रा, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, का पूर्ववर्ती मास के दौरान भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) द्वारा, भारत में एलएनजी के आयात के आधार पर पाकिस्तान को पुनः गैसीकृत एलएनजी की पूर्ति के लिए की गई संविदा के अधीन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) द्वारा पाकिस्तान को समतुल्य मात्रा के निबंधनानुसार वास्तव में पाकिस्तान को पूर्ति की गई है । |
| 3. | यदि,- (क) आयातकर्ता बैंक गारंटी के माध्यम से ऐसे माल पर उसमें अंतर्विष्ट छूट के कारण उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पर उद्गृहीत शुल्क के बीच के अंतर के बराबर रकम की, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को प्रतिभूति प्रस्तुत करता है । (ख) आयातकर्ता अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त से, आयात की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर या छह मास से अनधिक की और ऐसी विस्तारित अवधि, जिसे सीमाशुल्क |

| | |
|---|---|
| | आयुक्त द्वारा अनुज्ञात किया जाए, के भीतर इस प्रभाव का एक प्रमाणमपत्र जनित्र कंपनी को प्रस्तुत करता है कि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस (एनजी), जिसे इस प्रकार आयात तथा उसकी पूर्ति की गई है, का उपयोग उक्त जनित्र कंपनी द्वारा इलैक्ट्रिकल ऊर्जा के जनन और उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है;<br>(ग) आयातकर्ता, पूर्वोक्त शर्तों में से किसी के अनुपालन में असमर्थ रहने की दशा में मांग किए जाने पर ऐसे माल पर उसमें अंतर्विष्ट छूट के कारण उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पर उद्गृहीत शुल्क के बीच के अंतर के बराबर रकम का, उस पर लागू ब्याज के साथ संदाय करने का वचनबंध प्रस्तुत करता है । |

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार